



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone & Fax 0788-2359400

क्र. 830 / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक : ७/७/१७

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता हैः—

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ.एम.ए.सिद्धिकी (प्राध्यापक), शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. जी.कै.गोस्वामी (सहा. प्राध्यापक), कल्याण स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई नगर, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ.ए.कै.मिश्रा (प्राध्यापक), शासकीय दानवीर तुला राम महाविद्यालय, उतर्ई, जिला—दुर्ग
2. डॉ. आर.कै.मिश्रा (सहा. प्राध्यापक), शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला—बालोद (छ.ग.)
- 28(2)(v) 1. डॉ. कु.पद्मावती (प्राध्यापक), शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. एस.कै.बोहरे (सहा. प्राध्यापक), इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा— 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ.एम.ए.सिद्धिकी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
दुर्ग, दिनांक : ७/७/१७

क्र. 831 / अका. / 2017

प्रतिलिपि:-

- 1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- 2. आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 3. संबंधित सदस्यों को।
- 4. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- 5. समस्त विभागीय अधिकारी।
- 6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)